राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.4(30)नविवि/II/2022 जयपुर, दिनांकः 12 JUL 2022

आदेश

राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1973 (उक्त नियमों को नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर आज्ञा दिनांक प. 1(10)नविआ/1981 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के नियमों के अन्तर्गत 06 माह अथवा आगामी विभागीय नियमित पदोन्नति चयन समिति की बैठक होने तक जो भी पहले हो निम्नांकित अधिशाषी अभियन्ताओं को (एल–19) आवश्यक/अस्थाई (तदर्थ) आधार पर अधीक्षण अभियन्ता के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता हैः–

क.सं.	नाम	वर्ग	जन्म तिथि	विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
1	श्री हरीश कुमार अग्रवाल		31-05-1967	
2	श्री ओम प्रकाश दुबे		07-07-1962	
3	श्री सुनील व्यास		10-01-1964	
4	श्री योगेश माथुर		30-05-1969	

उक्त आवश्यक अस्थाई रूप से की गई पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगीः–

1. यह पदोन्नति पूर्णतया अस्थाई/अविलम्बनीय आधार पर अग्रिम आदेश होने तक बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकारी प्रदत्त किये दी जाती है।
2. जिस पद से पदोन्नति दी गई है उस पद पर कभी भी पदावनति की जा सकेगी।
3. इस आवश्यक अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
4. इस प्रकार की पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता संबंधी लाभ देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
5. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति केवल नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।
6. उक्त आवश्यक अस्थाई पदोन्नति केवल नियमित पदोन्नति से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
7. यदि कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक, आपराधिक अथवा भ्रष्टाचार इत्यादि के प्रकरण में दण्ड अधिनिर्णित हो जाये अथवा न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पक्ष में निर्णय पात्रता, दक्षता एवं योग्यता के आधार पर न होकर तकनीकी आधार

पर शासन की दृष्टि में माना गया हो और उस निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने या विभागीय जांच यथास्थिति करने का निर्णय सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया हो तो अस्थाई नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदावनति के आदेश प्रसारित करने की तिथि से समाप्त समझी जावेगी/हो जायेगी।

8. पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd

(अवधेश सिंह)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, ...।
8. संबंधित अभियन्तागणों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

rsonwal@order